

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक: प.8(14)गृह-12/कारा/2014

जयपुर, दिनांक: 2 JAN 2015

आदेश

राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम-9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैम्प रूल्स 1972 के नियम 2 (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान गौ सेवा समिति खाटूश्यामजी सीकर जो कि खसरा नं. 96/4143 गांव खाटूश्यामजी सीकर में कुल 04.40 हैक्टर भूमि में स्थित है। 10 बंदी क्षमता के प्रयोजनार्थ अस्थायी "खुला बंदी शिविर" घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Ed

(चेतन देवड़ा)

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. उप अधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर।
7. अध्यक्ष, किसान गौ सेवा समिति खाटूश्यामजी सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

Ed
संयुक्त शासन सचिव, गृह